संख्या– 80 / XVIII-(2) / 2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 28, फरवरी, 2005

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु वर्ष 2004–05 में स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1088 / 13–11(2003–2004) दिनांक 24.1.2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 511 / XVIII-(2) / 2004 दिनांक 9.7.2004 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तत्काल मरम्मत कार्य हेतु रू0 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन थी कि रू0 5.00 लाख से ऊपर का आगणन शासन को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही धनराशि आहरण किया जायेगा।

2– जनपद रूद्रप्रयाग के गौरी कुण्ड–केदारनाथ पैदल मार्ग कि.मी. 79 / 80–82 में क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 5.48 लाख के अनुमोदित आगणन के टी.ए.सी. द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 5,48,000 / – (रू0 पांच लाख अडतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है। उक्त योजना पर धनराशि का व्यय उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 9.7.2004 द्वारा नियत्रंण पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगीः–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कडाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में रिलिफ लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य वैसी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के वित्त

निर्देशों से आच्छादित है। जो कार्य नया हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

4– शासनादेश दिनांक 9.7.2004 में उल्लिखित अन्य शर्ते/ प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

5– समस्त कार्य निर्दिष्ट समय तक अवश्य पूर्ण कर लिये जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6– इस शासनादेश द्वारा कोई नई धनराशि स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

7– उक्त समस्त कार्यो को कराये जाते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8– स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय शासनादेश पर दिये गयें निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– शासनादेश दिनांक 9.7.2004 द्वारा आवंटित रू0 25.00 लाख की धनराशि में से रू0 2.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा तथा रू0 5.00 लाख तक के कार्यो की स्वीकृति मण्डलायुक्त द्वारा लो.नि.वि. के तकनीकी अधिकारियों की सहायता से स्वीकृति की जायेगी। अतः रू0 2.00 लाख से 5.00 लाख तक के अवशेष प्रस्तावों पर उपरोक्तानुसार धनराशि व्यय की जायेगी।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–470/वित्त अनु0 3/2004 दिनांक 21.2.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, नाजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
3– कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव